तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4381/2020/जैसलमेर श्यामसिंह बनाम भगवानसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री लोकेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 13.01.2021

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–09–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी ने अप्रार्थी पक्ष की ओर से मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में स्थगन प्रार्थनापत्र पर एकतरफा बहस सुनकर विवादित आराजी की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया।

पत्रावली, निगराधीन आदेश एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष वादगण अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18–08–2020 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 3–09–2020 नियत की गयी। वादी अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–08–2020 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4381/2020/जैसलमेर श्यामसिंह बनाम भगवानसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 2–9–2020 से दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त स्थगन प्रार्थनापत्र पर एकपक्षीय बहस सुनकर विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखने का आदेश पारित किया। प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसे केवल मात्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए आगामी तारीख पेशी नियत की गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय के समक्ष होना शेष है तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रारम्भिक स्तर पर विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–09–2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर एक माह में विधिसम्मत् आदेश पारित करें। न्यायहित में तब तक पक्षकारान को विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को उपस्थित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4381/2020/जैसलमेर श्यामसिंह बनाम भगवानसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होकर प्रकरण के निस्तारण में सहयोग प्रदान करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	